राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 245वीं बैठक दिनांक 16.02.2021 को अपरान्ह 04.00 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1	श्री भास्कर ए. सावंत	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल एवं प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	अध्यक्ष
2.	श्री पवन अरोड़ा	आवासन आयुक्त, राज.आवा.मण्डल	सदस्य
3	श्री आर. के. विजयवर्गीय	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान	सदस्य
4	श्रीमती संचिता बिश्नोई	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	मण्डल–सचिव

शासन सचिव वित्त (बजट), डॉ. पृथ्वी राज द्वारा अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण मण्डल की बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की गयी। इसकी अनुमति प्रदान की गयी।

<u>बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित रहे :–</u>

श्रीमती रेखा भास्कर	वि.स. एवं मुख्यलेखाधिकारी,राज. आवासन मण्डल
श्री के.सी.मीणा	मुख्य अभियंता प्रथम, राज.आवासन मण्डल
श्री घनश्याम बाघेला	मुख्य अभियंता द्वितीय, राज.आवासन मण्डल
श्री नत्थू राम	अति.मुख्य अभियंता, प्रथम
श्री के.एस.चौधरी	अति.मुख्य अभियंता, द्वितीय
श्री संजय पूनिया	अति.मुख्य अभियंता, तृतीय
श्री अनिल कुमार माथुर	अति. मुख्य नगर नियोजक
श्रीमती प्रीति सिंह पंवार	सम्पदा प्रबन्धक(मु.)
श्री प्रमोद कुमार वैष्णव	जन सम्पर्क अधिकारी

–:: कार्यवाही विवरण ::–

विचार बिन्दु संख्या	विषय	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
245.1	दिनांक 22.12.2020 को सम्पन्न हुई मण्डल की 244वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।	दिनांक 22.12.2020 को सम्पन्न हुई मण्डल की 244वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई।	Secretary
245.2	दिनांक 22.12.2020 को सम्पन्न हुई मण्डल की 244वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।	दिनांक 22.12.2020 को सम्पन्न हुई मण्डल की 244वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।	Secretary
245.3	Ex-Post facto approval of Bid for Construction of EWS (G+10) 104 flats & LIG (G+10)	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई ।	CE(HQ)

	144 Nos. Flats Zone-I, in GH-4 under CMJAY at Indira Gandhi Nagar, Jaipur.		
245.4	राजस्थान आवासन मण्डल के कर्मचारियों/अधिकारियों को आवास आवंटन हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना खोलने की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल के कर्मचारियों/अधिकारियों को आवास आवंटन हेतु विशिष्ट पंजीकरण योजना खोलने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई	CEM
245.5	राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विभिन्न संस्थाओं को विभिन्न प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि की निर्माण अवधि निकल जाने पर प्रशासनिक शुल्क वसूल करते हुए निर्माण अवधि बढ़ाने हेतु जारी आदेश दिनांक मुसप्र/2020/1012 दिनांक 31.12.2020 की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत्।	विस्तृत विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा हाल ही में दिशा–निर्देश जारी किये गऐ हैं, अतः राज्य सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देश मंडल में अंगीकार करने है। राज्य सरकार से दिशा–निर्देश प्राप्त होने तक इस प्रस्ताव को डेफर किया गया।	CEM
245.6	माननीय विधायकों हेतु विधायक नगर (पश्चिम) में निर्माण किये जाने वाले बहुमंजिले फ्लेट्स के संबंध में।	विस्तृत विचार–विमर्श पश्चात् प्रस्ताव को औचित्य के अभाव में अस्वीकृत किया गया।	CE-I
245.7	खण्ड भिवाडी के अधीन अरावली विहार योजना में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत निर्मित किये जाने वाले फ्लेट्स हेतु पंजीकरण योजना प्रारम्भ करने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार खण्ड भिवाडी के अधीन अरावली विहार योजना में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत निर्मित किये जाने वाले फ्लेट्स हेतु पंजीकरण योजना प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
245.8	बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंकेक्षित वार्षिक लेखे (अंतिम लेखे) निदेशक मण्डल से अनुमोदनार्थ एजेण्डा।	प्रस्तावानुसार बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंकेक्षित वार्षिक लेखे (अंतिम लेखे) अनुमोदित किये गये।	FA
245.9	राजस्थान आवासन मण्डल के वर्ष 2020–21 के संशोधित बजट अनुमान व वर्ष 2021–22 के बजट अनुमान।	विस्तृत विचार–विमर्श पश्चात् प्रस्तावानुसार संशोधित बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं बजट अनुमान 2021–22 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।	FA
245.10	व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 251/G–1 प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर बिड अस्वीकृति बाबत्।	इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब प्राप्त होने की प्रतीक्षा में प्रस्ताव डेफर किया गया ।	FA
245.11	Ex-Post facto approval of Bid for Construction of LIG (G+10) Flats 144 Nos. Zone-II under CMJAY Scheme, GH-4, at	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE(HQ)

	Sector-07, Indira Gandhi Nagar, Jaipur.		
245.12	मण्डल द्वारा आवंटित संस्थानिक भूमि पर संस्था द्वारा अनुज्ञेय अवधि में निर्माण कार्य नहीं करने पर निर्माण अवधि बढ़ाने हेतु लिए जाने वाले प्रशासनिक शुल्क को आरक्षित दर के स्थान पर आवंटन लागत पर वसूल करने हेतु जारी कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2021/1228 दिनांक 09.02.2021 की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत्।	विचार–विमर्श पश्चात यह स्पष्ट किया गया कि राज्य सरकार की नीति के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी। अतः प्रस्ताव डेफर किया गया।	CEM
245.13	मण्डल की इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा आवासीय योजना, जयपुर में फ्लेटों की वास्तविक लागत के स्थान पर योजना की पंजीकरण पुस्तिका में उल्लेखित अनुमानित लागत पर आवंटन करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार मण्डल की इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा आवासीय योजना, जयपुर में फ्लेटों की वास्तविक लागत के स्थान पर योजना की पंजीकरण पुस्तिका में उल्लेखित अनुमानित लागत पर आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	CEM
245.14	Ex-Post facto approval of Bid for Construction of EWS (G+10) Flats 340 Nos. under CMJAY Scheme, GH-3, at Sector-07, Indira Gandhi Nagar, Jaipur.	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE(HQ)
245.15	परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) द्वारा एम.टेक/एम.ई. डिग्री उत्तीर्ण करने पर 02 वार्षिक वेतनवृद्धि अग्रिम का लाभ देने के संबंध में।	विचार–विमर्श पश्चात् प्रस्ताव डेफर किया गया।	Secretary
245.16	राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में ई–सबमिशन (E-submission) बुधवार नीलामी उत्सव में सम्मिलित करने हेतु अधिशेष आवासों/फ्लेट्स व निर्मित दुकानों को प्रस्ताव अनुसार 0–25% एवं 0–50% स्लेब में ई–सबमिशन (E-submission) बुधवार नीलामी उत्सव में किराया क्रय पद्धति द्वारा आवंटन/निस्तारण की स्वीकृति एवं सिवाना (भीमगौड़ा) योजना, बाडमेर के 223 अधिशेष आवासों को पुनः ई–बिड सबमिशन से निस्तारण की स्वीकृति बाबत्।	विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में ई–सबमिशन (E-submission) बुधवार नीलामी उत्सव में सम्मिलित करने हेतु अधिशेष आवासों/फ्लेट्स व निर्मित दुकानों को प्रस्ताव में संशोधन कर 0–50% स्लेब में ई–सबमिशन (E-submission) बुधवार नीलामी उत्सव में किराया क्रय पद्धति द्वारा आवंटन/निस्तारण की स्वीकृति एवं सिवाना (भीमगौड़ा) योजना, बाडमेर के 223 अधिशेष आवासों को पुनः ई–बिड सबमिशन से निस्तारण की स्वीकृति प्रदान की गई।	CEM

245.17	राजस्थान आवासन मण्डल की इंदिरा गांधी नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 7 में ग्रुप आवासीय योजना हेतु आरक्षित भूखण्ड संख्या GH-4 में प्रस्तावित मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग (जी+10) के 144 फ्लेट्स, जोन–द्वितीय के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में राशि रु. 1092.00 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की इंदिरा गांधी नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 7 में ग्रुप आवासीय योजना हेतु आरक्षित भूखण्ड संख्या GH-4 में प्रस्तावित मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग (जी+10) के 144 फ्लेट्स, जोन–द्वितीय के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में राशि रु. 1092.00 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
245.18	राजस्थान आवासन मण्डल की इंदिरा गांधी नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 7 में ग्रुप आवासीय योजना हेतु आरक्षित भूखण्ड संख्या GH-4 में प्रस्तावित मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (जी+10) के 104 फ्लेट्स एवं अल्प आय वर्ग (जी+10) के 144 फ्लेट्स, जोन–प्रथम के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में राशि रु. 1630.00 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की इंदिरा गांधी नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 7 में ग्रुप आवासीय योजना हेतु आरक्षित भूखण्ड संख्या GH-4 में प्रस्तावित मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (जी+10) के 104 फ्लेट्स एवं अल्प आय वर्ग (जी+10) के 144 फ्लेट्स, जोन–प्रथम के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में राशि रु. 1630.00 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
245.19	राजस्थान आवासन मण्डल की इंदिरा गांधी नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 7 में ग्रुप आवासीय योजना हेतु आरक्षित भूखण्ड संख्या GH-3 में प्रस्तावित मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (जी+10) के 340 फ्लेट्स के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में राशि रु. 1755.00 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की इंदिरा गांधी नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 7 में ग्रुप आवासीय योजना हेतु आरक्षित भूखण्ड संख्या GH-3 में प्रस्तावित मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (जी+10) के 340 फ्लेट्स के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में राशि रु. 1755.00 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I

245.20	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 26 में मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजनाओं में निर्माणाधीन फ्लेट्स की अनुमानित लागत में हुई वृद्धि की वसूली/समायोजन के संबंध में निर्णय बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 26 में मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजनाओं में निर्माणाधीन फ्लेट्स की अनुमानित लागत में हुई वृद्धि की वसूली/समायोजन के संबंध में क्रियान्विति करने की स्वीकृति प्रदान की गई । साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि :– 1. चूँकि यह मण्डल की प्रतिष्ठित योजना है, अतः इसका निर्माण कार्य निर्बाध रूप से किया जाना आवश्यक है, इस योजना को बंद नहीं किया जा सकता, यदि इस संबंध में कोई अतिरिक्त स्वीकृति प्राप्त करनी हो तो प्राप्त की जाये एवं समयबद्ध रूप से निर्माण पूर्ण कराया जावे। 2. शिक्षकों/ कांस्टेबलस् के लिए यह मंडल की प्रतिष्ठित योजना है जिसके संबंध में पूर्व बोर्ड बैठक में लागत को 15.70 लाख रुपये प्रति आवास के लिए फ्रीज़ किया हुआ है तथा RERA एक्सपर्ट की राय के अनुसार भी अब इस स्तर पर विक्रय मूल्य में वृद्धि नहीं की जा सकती है इसलिए इस योजना में जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई निम्नानुसार किये जाने का निर्णय लिया गया:– (i) इस योजना में बचे हुये आवास बाजार दर पर बेचे जाये। 225 वर्गमीटर व्यवसायिक एरिया को नीलामी द्वारा विक्रय किया जाये। जिससे लगभग दो करोड़ रुपये प्राप्त होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त पार्किंग एरिया से लगभग दो करोड़ रुपये प्राप्त होने की संभावना है। (ii) RERA एक्सपर्ट की राय के अनुसार योजना में निर्माणाधीन फ्लेट्स की अनुमानित लागत में हुई वृद्धि का समायोजन राणा	CE-I

		सांगा मार्केट में उपलब्ध वाणिज्यिक भूखण्डों की न्यूनतम बिड मूल्य में वृद्धि कर ऑक्शन द्वारा किया जाए। 3. इस परियोजना के सही लागत अनुमान न बनाने के संबंध में जिन अधिकारियों एवं संबंधित की गलती रही है उसकी जॉच कराकर दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों एवं संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए। 4 उक्त प्रकरण एकबारीय माना जाये तथा इसको भविष्य में उदाहरणार्थ पेश नहीं किया जाए।	

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

245.21	मण्डल द्वारा ई–आक्शन का कार्य आनलाइन करवानें के सम्बन्ध में विभिन्न कार्य करवाने की स्वीकृति अग्रिम आदेशों तक प्रदान करने के संबंध में।	मण्डल द्वारा ई–आक्शन का कार्य आनलाइन करवानें के सम्बन्ध में प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CE HQ/ J.D.(SA)
245.22	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 26 में प्रस्तावित मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग'अ' के 96 फ्लेट्स (बी+एस+12)ब्लॉक–ई के निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 1291.52 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 26 में प्रस्तावित मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग'अ' के 96 फ्लेट्स (बी+एस+12)ब्लॉक–ई के निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 1291.52 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
245.23	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 26 में प्रस्तावित मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग'अ' के 96 फ्लेट्स (बी+एस+12)ब्लॉक–डी के निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 1358.58 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 26 में प्रस्तावित मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग'अ' के 96 फ्लेट्स (बी+एस+12)ब्लॉक–डी के निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 1358.58 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I

245.24	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 26 में प्रस्तावित मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग'अ' के 96 फ्लेट्स (बी+एस+12)ब्लॉक–ए के निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 1313.66 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 26 में प्रस्तावित मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग'अ' के 96 फ्लेट्स (बी+एस+12)ब्लॉक–ए के निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 1313.66 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
245.25	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 26 में प्रस्तावित मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग'अ' के 96 फ्लेट्स (बी+एस+12)ब्लॉक–सी के निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 1371.35 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 26 में प्रस्तावित मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग'अ' के 96 फ्लेट्स (बी+एस+12)ब्लॉक–सी के निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 1371.35 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
245.26	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 26 में प्रस्तावित मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग'अ' के 96 फ्लेट्स (बी+एस+12)ब्लॉक–एफ के निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 1324.81 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 26 में प्रस्तावित मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग'अ' के 96 फ्लेट्स (बी+एस+12)ब्लॉक–एफ के निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 1324.81 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
245.27	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 26 में प्रस्तावित मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग'अ' के 96 फ्लेट्स (बी+एस+12)ब्लॉक–बी के निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 1291.39 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 26 में प्रस्तावित मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग'अ' के 96 फ्लेट्स (बी+एस+12)ब्लॉक–बी के निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 1291.39 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I

अध्यक्ष महोदय द्वारा सुझाव दिये गये कि वर्तमान परिस्थितियों में बोर्ड बैठक के प्रस्ताव भी पेपरलेस होने चाहिये, जिस पर आयुक्त महोदय ने आश्वस्त किया कि आगामी बैठक की कार्यवाही पेपरलेस किये जाने के प्रयास किये जायेगे।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(संचिता बिश्नोई)
सचिव